Present :- Madhu Agrawal

District & Addl. Sessions Judge- 1st

-cum- Spl. Judge, SC/ST (POA) Act, Sheikhpura

SC/ST Case No. - 77/2019

District – Sheikhpura (Bihar)

(State Vrs. Ram Kishore Singh & others)

11.02.2026 वाद के दो अभियुक्तगण में से एक जमानतीय अभियुक्त मिथलेस सिंह की ओर से हाजरी दी गई। शेष एक अभियुक्त रामकिशोर सिंह अनुपस्थित चल रहे हैं।

वाद पुकारा गया। पुकार पर विशेष लोक अभियोजक न्यायालय में उपस्थित हुए एवं एक प्रार्थना आवेदन दाखिल किए तथा दाखिल आवेदन को संचालित कर निवेदन किए कि वाद के दो अभियुक्तगण में से एक अभियुक्त रामकिशोर सिंह अनुपस्थिति के कारण दिनांक 07.02.2017 को बंधपत्र खंडित किया गया था तथा दिनांक 16.08.2018 को अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया, जिसका तामिला अप्राप्त हैं। पुनः दिनांक 01.08.2023 को अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया। तत्पश्चात वाद की प्रगति हेतु उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध प्रकिया की धारा – 82 दं० प्र० सं० का अधिपत्र दिनांक 08.07.2025 को न्यायालय द्वारा निर्गत किया गया। जिसका तामिला प्रतिवेदन को प्राप्त हुआ। बाहर दीवार पर तामिला रिपोर्ट चिपकाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु तामिला न्यायालय में प्राप्त हुआ। पुनः दिनांक 02.09. 2025 को उपरोक्त अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति हेतु प्रकिया की धारा – 83 दं० प्र० सं० का अधिपत्र निर्गत किया गया। जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें कुर्की की कारवाई की गई। अभियुक्त आज भी अनुपस्थित है। अभियुक्त की उपस्थिति हेतु न्यायालय के द्वारा सभी उचित प्रकिया निर्गत किया जा चूका है जो कि पर्याप्त है। अभियुक्त का निकट भविष्य में उपस्थित होने की संभावना क्षीण प्रतीत होता है, अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन हैं कि अभियुक्त रामकिशोर सिंह को फरार घोषित कर स्थायी अधिपत्र निर्गत करने हेतु प्रार्थना किए।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अतः तमाम तथ्यों को देखते हुए अभियुक्त रामकिशोर सिंह का भविष्य में उपस्थिति न्यायालय में क्षीण प्रतीत होता हैं।

Present :- Madhu Agrawal

District & Addl. Sessions Judge- 1st

-cum- Spl. Judge, SC/ST (POA) Act, Sheikhpura

SC/ST Case No. - 77/2019

District – Sheikhpura (Bihar)

(State Vrs. Ram Kishore Singh & others)

अतः विशेष लोक अभियोजक का निवेदन को स्वीकार कर इस वाद के अभियुक्त रामकिशोर सिंह को फरार घोषित किया जाता है। कार्यालय अभियुक्त का नाम व पता फरार पंजी में दर्ज करें एवं स्थायी अधिपत्र निर्गत करें तथा वाद को पृथक करें।

उपरोक्त आदेश के साथ कार्यालय पृथक अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में इस निर्देश के साथ जमा करें ताकि इसे भविष्य में विनष्ट नही किया जा सकें। अब वाद में सिर्फ एक अभियुक्त मिथलेस सिंह का अग्रतर कार्यवाही चलेगा। वाद दिनांक 10.03.2026 वास्ते नकल की आपूर्ति हेतु।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्या0 प्रथम

Date of Judgment / order	11.02.2026
Date of Reserving Judgment / order	11.02.2026
Uploading Date	13.02.2026
Uploading by	Amresh Anand